L.N.393-W/M-/Instruction/0/Vol–III

दिनांक -19/07/2024

मंडल कार्यालय आदेश 20/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय :- Training regime standardization for automatic signaling system

सन्दर्भ :- HQ letter no. M/D&R/Safety/140/2 Dt.04-07-2024

उपरोक्त विषयानुसार मंडल के रनिंग स्टाफ जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य प्रणाली में कार्य करते है उनको संदर्भित पत्र के अनुसार प्रशिक्षण देना अनिवार्य है तथा सम्बन्धित लोबी इंचार्ज द्वारा इसका पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाये | अत: मंडल सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है कि अपने नामित स्टाफ को इस बारे में काउंसलिंग करे तथा सक्षमता प्रमाण पत्र जरी करने से पूर्व निम्न मदों की अनुपालना सुनिश्चित करे |

1. स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली के संबंध में सीएलआई द्वारा प्रत्येक छह माह में, एलपी/एएलपी की एक दिवसीय गहन काउंसलिंग लॉबी में/ईटीसी/डीआरएम कार्यालय में करेंगे तत्पश्चात योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने/नवीनीकरण से पूर्व लॉबी में पीसी पर एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा।

a) लर्निंग रोड करते समय G& SR 3.78(2)(अ) की अनुपालना सुनिश्चित करे |

b) ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य प्रणाली में कार्य करने से पहले उचित सक्षमता प्रमाण पत्र होना सुनिश्चित करे |

c) निर्धारित गति प्रतिबंधों के साथ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य प्रणाली में असामान्य परिस्थितियों /कार्य के दौरान जारी किए गए सभी प्रासंगिक प्राधिकार प्रपत्र के बारे में बताये |

d) क्रू द्वारा आमतौर पर की जाने वाली गलतियों पर छोटे आकार के एनिमेटेड वीडियो बताये |

2. जब भी नए स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र की शुरूआत के लिए सूचना प्राप्त होती है

a) सभी एलपी/एएलपी का दो दिवसीय प्रशिक्षण लॉबी/ईटीसी/डीआरएम कार्यालय में सीएलआई द्वारा शुरू किया जाएगा तथा स्वचालित अनुभाग में कार्य करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

b) सीसीसी/लॉबी योग्यता प्रमाण पत्र सीएमएस में अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे।

c) इसके अलावा, नए स्वचालित क्षेत्र के चालू होने के बाद, शुरूआत के पहले वर्ष में हर दो महीने में सभी एलपी/एएलपी की गहन काउंसलिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। उसके बाद हर 06 महीने की अवधि शुरू की जाएगी। तथा इसका रिकॉर्ड रखा जाये |

3. चालक दल और सीएमएस में योग्यता के लिए MCQपरीक्षण का प्रावधान उपलब्ध है जिसका उपयोग स्वचालित सिग्नलिंग में निम्न कार्य के लिए किया जाएगा।

a) एक दिन के गहन प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों के परीक्षण के लिए CLI द्वारा।

b) एलपी/एएलपी द्वारा हर महीने में स्व-परीक्षण किया जाएगा। इससे सीएलआई को एलपी/एएलपी के कमजोर क्षेत्रों का आकलन करने और उसके अनुसार परामर्श देने में मदद मिलेगी।

नोट- DFC में कार्य करने वाले क्रू को उसमे निर्धारित गति प्रतिबंधों के साथ उसकी सिग्नलिंग कार्य प्रणाली के बारे और असामान्य परिस्थितियों /कार्य के दौरान जारी किए गए सभी प्रासंगिक प्राधिकार प्रपत्र के बारे में बताये |

सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है की अपने नामित सभी रनिंग स्टाफ को काउंसलिंग करके पावती लेवे तथा रिपोर्ट मंडल कार्यालय में जमा करे |

वरि.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P)
उ.प.रेलवे,जोधपुर

सलंग्न -यथोक्त

Scanned with ACE Scanner

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2023 / Elect (TRS) / 225 / 7 Pt.I (Trg) **New Delhi, Dated : 13.07.24**

General Managers (Elect)

All Zonal Railways
(incl. KRCL & Metro Railway)

SUB : Training regime standardization for working in Automatic signaling territory

Different Zonal Railways have been following different training regime of running staff for working in Automatic signaling territory. In order to standardize, Zonal Railways are advised to follow the training regime as enclosed.

Zonal Railways are advised ensure compliance.

DA : as above.

Digitally signed by Vikash Anand
Date: 2024.07.13 19:13:30 +05'30'

(विकाश आनंद)
निदेशक विद्युत अभियांत्रिकी (चल स्टॉक)
फ्लोर सं : 4, कमरा सं. : 452
रेलवे बोर्ड
टेली : 011- 47845425
ई मेल: vikashanand.irsee@gov.in

Training regime standardisation for Automatic signalling

1. One day intensive counselling of LPs/ALPs regarding **Automatic signalling system** by CLI, every six months, at lobby followed by an MCQ Test on PC at lobby / ETC / DRM Office, before award / renewal of competency certificate. During intensive counselling, following may be stressed upon:
    a. System of working in automatic signalling territory.
    b. All relevant forms issued during abnormal working in automatic section with prescribed speed restrictions.
    c. Bite size animated videos will be developed on the mistakes usually committed by Crew.

2. Whenever intimation is received for introduction of new automatic signalling territory:
    a. Two days training of all LP/ALP shall be started at lobby / ETC / DRM Office by CLIs and issuance of competency certificate to work in automatic section. CCC/Lobby will ensure updation in CMS.
    b. Further, after commissioning of new automatic territory. Intensive counselling of all LP/ALP every two months in the first year of introduction should be ensured. After that periodicity of every 06 months shall be introduced.
3. CLI awarding / renewing the competency to undergo training on automatic signalling :
    a. ZRTI for 3 days every 3 years
    b. An existing module of 2 days for CLI at IRISET is re-designed for 3 days for imparting training on Automatic Signalling.

4. Provision for MCQ tests is available at Chalak Dal and CMS for competency which shall be used for Automatic Signalling :-
    a. By CLIs for testing of staff after one day intensive training.
    b. By LPs/ALPs for self-testing every two months. This will help CLI to assess weak areas of LPs/ALPs and counsel accordingly.
5. ZRs to provide desktop PCs needs at all lobbies in CLI counselling room(s) for assessing by MCQ test during intensive training.

****